



छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कृषि ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन

श्रीमती जयश्री यादव

व्याख्याता पंचायत, शा.उ.मा. विद्यालय, गनियारी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है। यहाँ की अधिकांशतः जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो अशिक्षित एवं गरीब है। वह अपने जीवन यापन और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, उसे कृषि कार्य के लिये खाद, बीज एवं वित्त की आवश्यकता होती है। उनकी इन तीनों (खाद, बीज एवं वित्त) आवश्यकताओं की पूर्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर का अहम योगदान है। यह अपेक्स बैंक राज्य के अपने हितग्राहियों (कृषकों) को खाद, बीज एवं वित्त (कृषि ऋण) उपलब्ध कराता है तथा इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी निम्न, मध्यम वर्गीय जनता भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये इस बैंक द्वारा प्रदान किये गये कृषि ऋण पर निर्भर रहती है।

अध्ययन के उद्देश्य –

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा किये गये कृषि ऋणों के वितरण में कृषि ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों की स्थिति क्या है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कृषि ऋणों की मांग की राशि कितनी रही है व उन वर्षों में ऋण की कितनी राशि वसूल हुई है तथा कालातीत ऋणों की राशि कितनी है, वसूली व कालातीत कृषि ऋणों का प्रतिशत कितना रहा है। बैंक के कृषि ऋणों की वसूली व कालातीत ऋणों में किस वर्ष कितनी कमी व वृद्धि हुई है। इसके साथ ही यह पता लगाना है कि इस बैंक के कृषि ऋणों की वसूली की अनुमानित मूल्य (वृद्धि दर) कितनी होनी चाहिये ताकि बैंक की कृषि ऋणों की वसूली का सही आकलन किया जा सके।

अध्ययन का क्षेत्र –

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र तक की सीमित है, जिसके अन्तर्गत इस शीर्ष बैंक की 3 संभागीय शाखाएं, दो अमानत शाखाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अधीनस्थ 7 जिला केन्द्रीय सहकारी केन्द्रीय बैंक आते हैं, जिनकी शाखाओं के अधीन प्राथमिक सहकारी समितियाँ कार्यशील हैं। इन समितियों में ग्रामीण एवं शहरी सहकारी साख समितियाँ सम्मिलित हैं। जिनके माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी जनता की वित्त की पूर्ति की जाती है।

अनुसंधान प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालयों से प्राप्त पत्रिकाएं, प्रतिवेदनों से किया गया है। इसमें आकड़ों का वर्गीकरण, सारिणीयन व विश्लेषण कर, सांख्यिकी की न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का महत्व –

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का प्रमुख कार्य यहां के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक द्वारा वितरित किये जाने वाले ऋणों की वसूली सही समय पर होने से अगले वर्ष के लिये ऋण प्रदान करना सरल होता है अन्यथा वित्त के अभाव में कृषि ऋण की गतिविधियों का संचालन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस बैंक द्वारा अधिकांशतः अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किये जाते हैं जिनकी अवधि एक वर्ष की होती है। यदि कृषक द्वारा प्राप्त कृषि ऋण का सही उपयोग किया जाय तो उसकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होती है तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अतः कृषि ऋणों का वितरण एवं वसूली एक महत्वपूर्ण कार्य है। वितरित कृषि ऋणों की वसूली को

नियमित बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि कृषि ऋण जिस उद्देश्य के लिये दिया गया हो, उसी उद्देश्य हेतु उसका उपयोग हो। जिससे कालातीत ऋणों की राशि में वृद्धि न हो सके।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की आय का प्रमुख स्रोत उसका ऋण व्यवसाय है। यह बैंक अपनी पूंजी का विनियोजन अपने प्रमुख कार्य कृषि ऋण वितरण के रूप में करता है, जिससे कि हितग्राहियों की आर्थिक दशा में सुधार के साथ-साथ उसके लाभार्जन में वृद्धि कर प्रगति कर सके तथा बैंक अपनी सेवाएं दीर्घकाल तक अपने ग्राहकों को कृषि ऋण वितरण के रूप में दे सके। अतः बैंक को ऋण प्रदान करते समय सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ऋण की वसूली में कोई संदेह न रहें।

कृषि ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों का विश्लेषण व मूल्यांकन –

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर द्वारा कृषि ऋण व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से की जाती है। बैंक ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों की स्थिति का विप्लेषण एवं मूल्यांकन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वसूली की स्थिति किस प्रकार रही है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के परिणाम जहां अपेक्स बैंक की उपलब्धियों का दर्पण है वहीं सहकारी समितियों की कार्य कुशलता का द्योतक भी माना जाता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कृषि ऋणों की मांग वसूली एवं कालातीत ऋणों का विप्लेषण कर सम्पूर्ण कृषि साख व्यवस्था के अनुमानित तथ्य ज्ञात किये जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वितरित कृषि ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों की स्थिति निम्न अनुसार है:-

सारिणी क्र. 1

कृषि ऋणों की मांग, वसूली एवं कालातीत ऋणों का विश्लेषणात्मक विवरण¹

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	मांग	वसूली	कालातीत	वसूली का प्रतिशत	कालातीत प्रतिशत
2000-01	405.21	244.22	160.99	60.27	39.73
2001-02	408.88	232.63	176.25	56.89	43.11
2002-03	491.35	259.51	231.84	52.82	47.18
2003-04	538.42	381.34	157.08	70.83	29.17
2004-05	607.17	400.46	206.71	65.96	34.04
2005-06	677.37	441.18	236.19	65.13	34.87
2006-07	789.90	490.64	299.26	62.11	37.89

1 वार्षिक साधारण सभा प्रतिवेदन, द्वितीय से अष्टम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर

उपरोक्त सारणी क्र. 1 से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के कृषि ऋणों की मांग एवं वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है किन्तु कालातीत ऋणों में वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक वृद्धि हुई है तथा 2003-04 के वर्ष में कमी आई है इसके बाद वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक कालातीत ऋणों में वृद्धि हो रही है। अर्थात् वर्ष 2003-04 में वसूली में वृद्धि का प्रतिशत अधिक रहा है तथा बाद के वर्षों में वसूली में ऋणात्मक रूप में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2000-01 में कुल ऋण योग 405.21 करोड़ रुपये रहा जिसके विरुद्ध 244.22 करोड़ रुपये की वसूली की गयी जो कुल ऋण मांग का 60.27% है तथा 160.99 करोड़ रुपये के ऋण कालातीत है। वर्ष 2001-02 में कुल मांग 408.88 करोड़ रुपये के विरुद्ध 232.63 करोड़ रुपये की वसूली हुई जो कुल मांग का 56.89% है अर्थात् कुल कालातीत ऋण 176.25 करोड़ रुपये के हुये। गत वर्ष की तुलना में वसूली में कमी एवं कालातीत ऋणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2002-03 में 491.35 करोड़ रुपये की ऋण मांग रही, जिसमें 259.51 करोड़ रुपये ही वसूल हुये तथा 231.84 करोड़ रुपये के ऋण कालातीत हुये। इस वर्ष 52.82% वसूली हुई जो गत वर्ष की तुलना में कम रही। वर्ष 2003-04 में 538.42 करोड़ रुपये की मांग की गई जबकि वसूली 381.34 करोड़ रुपये (70.83%) सबसे अधिक हुई तथा कालातीत ऋण में कमी अधिक रही। 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में क्रमशः 65.96% 65.13% तथा 62.11% की वसूली हुई। वसूली में वृद्धि का यह प्रतिशत निरन्तर कम हुआ है तथा कालातीत ऋणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष यह है कि कालातीत ऋणों के सम्बन्ध में बैंक की स्थिति अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती है परन्तु अपेक्स बैंक द्वारा मुख्य रूप से कृषि ऋण वितरित किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि अधिकांशतः वर्षा के पानी पर निर्भर है, यहां के मौसम में अनिश्चिता बनी रहती है तथा कृषि उत्पादन भी अनिश्चित मात्रा में होने के कारण राज्य के कृषक ऋणों का भुगतान कर सकने में असमर्थ होते हैं। अतः जब

तक राज्य में सिंचाई के साधनों में वृद्धि नहीं हो जाती है एवं कृषकों में व्यावसायिक कृषि की भावना जागृत नहीं होती है तब तक अपेक्स बैंक द्वारा वितरित कृषि ऋणों की वसूली की दर में कोई अप्रत्याशित वृद्धि होना संभव नहीं है।

कृषि ऋणों की वसूली का न्यूनतम रीति द्वारा मूल्यांकन –

दीर्घकालीन प्रवृत्ति के सही मापन की एक सांख्यिकीय पद्धति न्यूनतम वर्ग रीति है। इसके द्वारा वसूली के अनुमानित मूल्य का सही मापन किया जा सकता है।

सारणी क्र. 2

कृषि ऋणों की वसूली का मूल्यांकन (करोड़ रु.में)

वर्ष	कृषि ऋणों की वसूली	2003-04 वर्ष से	विचलनों का वर्ग	गुणनफल	अनुमानित मूल्य
N	Y	विचलन x	x^2	xy	$Ye = a+bx$
2000-01	244.22	-3	9	-732.66	211.01
2001-02	232.63	-2	4	-465.26	257.34
2002-03	259.51	-1	1	-259.51	303.67
2003-04	381.34	0	0	0	350.00
2004-05	400.46	+1	1	400.46	396.33
2005-06	441.18	+2	4	882.36	442.66
2006-07	490.64	+3	9	1471.92	488.99
N=7	Y=2449.98		$x^2 = 28$	xy=1297.31	

न्यूनतम वर्ग समीकरण :

(अनुमानित मूल्य) $Ye = 2 + bx$

$$a = \frac{\sum Y}{N} \dots \dots \dots (i)$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} \dots \dots \dots (ii)$$

उक्त मूल्यांकन सारिणी क्र. 2 से प्राप्त मानों को समीकरण (i) एवं (ii) में रखने पर 'a' तथा 'b' का मान निम्न ज्ञात है :-

$$a = \frac{2449.98}{7} = 350.00$$

$$b = \frac{1297.31}{28} = 46.33$$

अतः न्यूनतम वर्ग समीकरण $Ye = a + bx$ में तथा b का मान रखने पर

$$Ye = a + bx = 350.00 + 46.33 x$$

अब अनुमानित मूल्य समीकरण $Ye = 350.00 + 46.33x$ में प्रत्येक वर्ष x का मान पृथक-पृथक रखने पर कृषि ऋणों की वसूली का अनुमानित मूल्य (वृद्धि दर) की गणना की गयी है जो निम्नानुसार है :-

वर्ष	अनुमानित मूल्य		
2000-01	Ye	=	350.00 + 46.33 x -3 = 211.01
2001-02	Ye	=	350.00 + 46.33 x -2 = 257.34
2002-03	Ye	=	350.00 + 46.33 x -1 = 303.67
2003-04	Ye	=	350.00 + 46.33 x 0 = 350.00
2004-05	Ye	=	350.00 + 46.33 x 1 = 396.33
2005-06	Ye	=	350.00 + 46.33 x 2 = 442.66
2006-07	Ye	=	350.00 + 46.33 x 3 = 488.99

अनुमानित वृद्धि दर = x 21.96%

उपर्युक्त मूल्यांकन सारिणी एवं प्राप्त अनुमानित मूल्य (वृद्धि दर) के अध्ययन से स्पष्ट है कि कृषि ऋणों की वसूली की अनुमानित वृद्धि की दर 21.96 प्रतिशत होनी चाहिये। परन्तु वसूली एवं वृद्धि दर की सारिणी से ज्ञात है कि कृषि ऋणों की वसूली की अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2003-04 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष कम रही है।

सारिणी क्र. 3
कृषि ऋणों की वसूली एवं वृद्धि दर का विश्लेषणात्मक विवरण

वर्ष	वसूली करोड़ रु. में	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	वृद्धि का प्रतिशत	अनुमानित वृद्धि दर (21.96%) से कमी/वृद्धि
2000-01	244.22	—	—	—
2001-02	232.63	-11.59	-4.75	-26.71
2002-03	259.51	26.88	11.55	-10.41
2003-04	381.34	121.83	46.95	24.99
2004-05	400.46	19.12	5.01	-16.95
2005-06	441.18	40.72	10.17	-11.79
2006-07	490.64	49.46	11.21	-10.75

उपरोक्त सारिणी क्र. 3 के अध्ययन से ज्ञात है कि वर्ष 2001-02 से वर्ष 2000-01 की तुलना में 11.59 करोड़ रुपये (4.75%) की कम कृषि ऋणों की वसूली रही। वर्ष 2002-03 में वर्ष 2001-02 की तुलना में 26.88 करोड़ रु. की अधिक वसूली हुई जो 11.55 प्रतिशत वृद्धि को इंगित करता है। परन्तु वृद्धि दर 21.96% होना चाहिए थी उसकी तुलना में 10.41% कम वसूली हुई। वर्ष 2003-04 में स्थिति में अधिक सुधार हुआ तथा इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 121.83 करोड़ रु. अधिक वसूली की गई जो गत वर्ष की तुलना में 46.95% अधिक रही तथा इस वर्ष यह वृद्धि दर से 24.99% अधिक हुई।

वर्ष 2004-05 में 400.46 करोड़ की कृषि ऋणों की वसूली वर्ष 2003-04 की तुलना में 19.12 करोड़ रुपये ही अधिक रही तथा वृद्धि मात्र 5.01% की हुई जो अनुमानित वृद्धि दर से 16.95% कम वृद्धि को इंगित करता है। किन्तु वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में स्थिति में सुधार हुआ। इस वर्ष में 2004-05 की तुलना में 40.72 करोड़ रुपये की अधिक वसूली हुई जो गत अवधि से 10.17% अधिक हुई, किन्तु फिर भी यह अनुमानित वृद्धि दर से 11.79% कम रही। इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में भी वसूली में 11.21% वृद्धि हुई परन्तु अनुमानित वृद्धि दर से 10.75% कृषि ऋणों की वसूली कम हुई।

विगत 7 वर्षों की कृषि ऋणों की वसूली की स्थिति का तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि वसूली की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वर्ष 2003-04 में थी। इस वर्ष वसूली में वृद्धि दर अनुमानित वसूली वृद्धि दर से अधिक रही। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में कृषि ऋणों की वसूली में वृद्धि का प्रतिशत बढ़ रहा है तथा अनुमानित वृद्धि दर से वृद्धि प्रतिशत का अन्तर कम हो रहा है।

सुझाव -

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कृषि ऋणों की वसूली प्रक्रिया को सदैव गतिशील बनाये रखने हेतु गंभीर प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि सार्थक परिणाम प्राप्त हों। बैंक को वसूली कार्यक्रम बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

- ऋण की अवधि का निर्धारण कृषक की ऋण अदायगी क्षमता के अनुरूप हो।
- ऋण का पूर्ण भुगतान ऋण समयावधि में प्राप्त हो जाये।
- ऋण अदायगी तिथि का निर्धारण फसल बिक्री के समय के अनुरूप हो।
- ऋण वसूली की किस्तों का निर्धारण फसल चक्र के अनुसार किया जाये।

उपर्युक्त बातें ऋणी को बैंक द्वारा वितरण ऋण का भुगतान करने में सहायक होगी जिससे बैंक की ऋण वसूली निर्धारित समयावधि में किस्तों के अनुरूप आसानी से होगी।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण एवं मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वितरित कृषि ऋणों की वसूली की स्थिति संतोष जनक है किन्तु इसे अच्छी स्थिति का पर्याय तो नहीं माना जा सकता है इसका कारण प्राकृतिक आपदाएं तथा राज्य के कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होना, साथ ही प्राथमिक सहकारी समितियों के कमजोर संगठन एवं उनकी कार्य प्रणाली भी पर्याप्त वसूली कर सकने में असमर्थ रही है। इन सभी कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की वसूली पर असर पड़ा है। यद्यपि अपेक्स बैंक द्वारा ऋण की किस्तों का निर्धारण फसल चक्र के आधार पर किया गया है जिससे कि ऋण का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाये।

संदर्भ सूची –

- 1.द्वितीय वार्षिक साधारण सभा 2001–02, 27 मार्च 2002– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 2.तृतीय वार्षिक साधारण सभा 2002–03, 28 मार्च 2003 –छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 3.चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा 2003–04, 29 मार्च 2004– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 4.पंचम वार्षिक साधारण सभा 2004–05, 29 मार्च 2005– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 5.सष्ठम वार्षिक साधारण सभा 2005–06, 24 मार्च 2006– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 6.सप्तम वार्षिक साधारण सभा 2006–07, 30 मार्च 2007– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 7.अष्टम वार्षिक साधारण सभा 2007–08, 28 मार्च 2008– छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 8.आडिट रिपोर्ट–छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 9.उपनियम–छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 10.छ.ग. में अल्पकालिक साख संरचना–छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 11.छ.ग. सहकारी साख समस्याओं की प्रगति–छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर
- 12.ग्रामीण क्षेत्र की कृषि विकास की दशा मे हमारे प्रयास–छ.ग. रा.स.बैंक मर्या.रायपुर



श्रीमती जयश्री यादव

व्याख्याता पंचायत, शा.उ.मा. विद्यालय, गनियारी जिला बिलासपुर (छ.ग.)